



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेंट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 17-04-2024

विषय:- 33 लीटर अवैध देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा आगामी लोकसभा चुनाव- 2024 के मद्देनजर चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 16.04.2024 को लंका पुलिस द्वारा गढ़वा धाट आश्रम के पीछे ताड के बगीचे से 02 नफर अभियुक्त 1. साबु शेख पुत्र मुस्तकीम शेख निवासी ग्राम - छउराहा, बड़ा, थाना पाकुर जिला-पाकुर झारखण्ड उम्र 32 वर्ष हाल पता- गोविन्द नगर नुआंव तडिया. थाना लंका वाराणसी व 2. बली कुमार पुत्र नारायण महतो निवासी ग्राम -छउराहा, ओझा पट्टी थाना देतिया, जिला - देतिय बिहार उम्र 36 वर्ष को 33 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लंका पर मु0अ0सं0- 0153/2024, धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरण:-

दिनांक 16.04.2024 को संदिग्ध व्यक्ति व वाहनो की चेकिंग एवं गश्त करते हुए लंका पुलिस टीम मलहिया पिकेट हरसेवानन्द स्कूल के पास पहुंची कि मुखबिर खास द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ दिन से गढ़वा धाट आश्रम के पीछे ताड के बगीचे में 2-3 लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से ताड के बगीचे में बैठकर अवैध शराब पिलाई जा रही है आज भी वे लोग ताड के बगीचे में मौजूद हैं और स्वतंत्र रूप से बिना भय के लोगों को शराब बेच रहे हैं यदि जल्द किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर रवान होकर पुलिस टीम द्वारा मौके से घेराबन्दी कर 02 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद 03 डिब्बों में बन्द तरल पदार्थ एवं बरामद शीशियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताये कि साहब हमलोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। यहाँ मकान का किराया व खर्च काफी ज्यादा है जो हमारी मेहनत मजदूरी पर करना सम्भव नहीं है जिसके कारण हमलोग देहात क्षेत्र से कच्ची शराब लाकर लबरो मजदूर वर्ग की को उपलब्ध कराते हैं जिससे कुछ पैसों की आमदनी हो जाती है। हमलोग संयुक्त रूप से लाभांश का पैसा आपस में बाँट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. साबु शेख पुत्र मुस्तकीम शेख निवासी ग्राम - छउराहा, बड़ा, थाना पाकुर जिला-पाकुर झारखण्ड हाल पता- गोविन्द नगर नुआंव तडिया. थाना लंका वाराणसी उम्र 32 वर्ष।

2. बली कुमार पुत्र नारायण महतो निवासी ग्राम -छउराहा, ओझा पट्टी थाना देतिया, जिला - देतिय बिहार उम्र 36 वर्ष ।

विवरण बरामदगी-

1. 25 लीटर अवैध देशी शराब बरामद ।
2. 40 शीशी देशी शराब विंडीज लाइम की 200 ml प्रति शीशी कुल मात्रा 8 लीटर बरामद ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक- 16.04.2024 को स्थान- गढ़वा धाट आश्रम के पीछे ताड के बगीचे से, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0153/2024, धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार राय, चौकी प्रभारी रमना, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 आलोक कुमार सिंह, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. का0 चंदन पान्डेय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. का0 रोरान कुमार, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का0 आलोक वर्मा, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।